# न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारीः— श्रीनिधि बी.टी., आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर**

**मुकदमा नम्बर 02/2024** **जीसीएमएस न0 2024/19**

**व उनवानी प्रकरण :—**

बिस्सू पुत्र श्री सूआराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम विक्रमपुरा बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर

**बनाम**

1. गुलाब सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
2. रूमा पुत्री स्व0 शिवलाल पत्नि स्व0 राजाराम निवासी पाटो का पुरा तह0 बाडी
3. भागवती पत्नि स्व0 देवीसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
4. रामनिवास पुत्र श्री देवीसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
5. भगवानदास पुत्र श्री देवीसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
6. गौरा पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह पत्नि सत्यप्रकाश जाति कुशवाह निवासी ग्राम भूतपुरा तह0 बाडी
7. रामदुलारी पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह पत्नि नेमी जाति कुशवाह निवासी आदमपुर तह0 बाडी
8. बैजन्ती पत्नि स्व0 श्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
9. विजन्दर पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
10. पप्पू पुत्र स्व0 श्री रामश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
11. केदार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
12. भूरा पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
13 कैलासी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
14. नहनी पत्नि स्व0 धर्मेन्द्र जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
15. गुड्डू पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी
16. होरीलाल
17. नारायन सिंह
18. खिलौनी

पिसरानी स्व0 धर्मेन्द्र नाबालिग सरपस्ती मां नहनी पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम बदरैठा तहसील बाडी।

19. मीना पुत्री रामेश्वर जाति कुशवाह निवासी ग्राम बदरैठा तह0 बाडी

**रैफरेंस प्रार्थना पत्र विरूद्व नामान्तकरण संख्या 331 बांके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी अन्तर्गत धारा 82 एल.आर..एक्ट 1956**

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

**उपस्थिति अभिभाषकगण :–**

**1. प्रार्थी की ओर से :– श्री योगेश शर्मा एडवोकेट, धौलपुर**
**2.अप्रार्थी सं0 01 लगायत 19 की ओर से :– श्री निशांत भार्गव एडवोकेट, धौलपुर**

## निर्णय

**दिनांकः– 05.05.2026**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 04 रकवा 288 बीघा 08 बिस्वा वांके ग्राम बदरैठा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि खसरा नम्बर 04 बांके ग्राम बदरैठा में से जरिये नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा रकवा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पट्टे का उल्लेख करते हुए शिवलाल पुत्र हरगोविन्द कौम काछी निवासी ग्राम बदरैठा ने अपनी गैर खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज करवा ली। शिवलाल पुर हरगोविन्द का निधन हो चुका है, शिवलाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण है जिन्होंने उक्त अवैध नामान्तकरण की आड में विरासत इन्द्राजात अंकित करवा लिये है तथा शिवलाल ने अवैध इन्द्राजात की आड में साजिशान सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध रूप से खातेदारी इन्द्राजात करवा लिये थे तथा कर्मचारियों से साजकर अवैध रूप से चारागाह भूमि को हडप लिया था। धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत चारागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कृषि उपयोग हेतु आवंटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है तथा ना ही चारागाह भूमि पर गैर खातेदारी या खातेदारी का नामान्तकरण ही स्वीकृत किया जा सकता है तथा ना ही किसी व्यक्ति को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है तथा नामान्तकरण संख्या 331 के कॉलम नम्बर 5 में खसरा नम्बर 04 की किस्म स्पष्ट रूप से चारागाह अंकित है तथा जमावन्दी सम्बत 2036–2039 में भी खसरा नम्बर 04 की किस्म चारागाह अंकित है जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है। खसरा नम्बर 04 में से शिवलाल पुत्र हरगोविन्द कौम काछी द्वारा अवैध रूप से जरिये नामान्तकरण संख्या 331 अपनी गैरखातेदारी में अंकित करवायी गयी भूमि का खसरा नम्बर 4/2 मिन रकवा 08 बीघा 10 बिस्वा था तथा जिसका हाल कम्प्यूटराइज्ड खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.1499 हैक्टेयर वांके ग्राम बदरैठा है। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अवैधरूप से चारागाह भूमि को हडपा गया है तथा चारागाह भूमि राजकीय हित की ऐसी भूमि होती है जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को भी अपने पशु चराने का सुखाधिकार प्राप्त होता है इसलिए स्व0 शिवलाल द्वारा किये गये अवैध कृत्य से प्रार्थी भी पीडित है। उपरोक्त परिस्थियों में नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा के सम्बध में अप्रार्थीगण के पूर्वज शिवलाल पुत्र हरगोविन्द व राजस्व अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता के विरूद्व एवं बरती गई अवैधता के विरूद्व समुचित आदेशार्थ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को राय के साथ भिजवाई जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना की है, कि नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा के सम्बध में बरती गई अनियमितता एवं अवैधता के विरूद्व समुचित आदेशार्थ हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अजमेर को भेजी जावे तथा खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.1499 हैक्टेयर को पुनः चारागाह दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान को करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित जमावन्दी खाता संख्या 250/237 सम्बत 2036 से 2039 वांके ग्राम बदरैठा, जमावन्दी संवत 2041 से 2044 खाता संख्या 256 वाके ग्राम बदरैठा, जमावन्दी खाता संख्या 202 सम्बत 2073 से 2076 वांके ग्राम बदरैठा, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रार्थी, प्रमाणित प्रति खाता सख्या 30 वाके ग्राम बदरैठा सम्बत 2076 से 2079, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 4/2149 वांके ग्राम बदरैठा, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण पंजीका खाता संख्या 339 वांके ग्राम बदरैठा पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या–1लगा.19 की ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालातनाम पेश किया।

अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 4 की भूमि कभी भी गैरमुमकिन चारागाह नहीं रही। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष शिवलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 4 वांके ग्राम बदरैठा में से 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विधिवत रूप से आवंटन दिनांक 21.04.1975 को किया गया था और आवंटन स्वीकार किया गया था एवं आवंटन भूमि चारागाह नहीं थी बल्कि किस्म बारानी दोयम थी एवं इसी अनुरूप शिवलाल को विधिवत रूप से उक्त भूमि बावत गैर खातेदारी जरिए नामांतरकरण संख्या 331 प्रदान की गई और शिवलाल बतौर गैर खातेदार उक्त भूमि का काबिज होकर काश्त भी करता रहा एवं तत्पश्चात आवंटित भूमि पर नियमानुसार लगातार काबिज होकर काश्त करते रहने पर उसे आवंटित भूमि पर खातेदारी प्रदान किये गये। संवत 2041–2044 की जमाबंदी में खाता संख्या 256 पर शिवलाल का नाम दर्ज है जिसमें भूमि की किस्म बारानी दर्ज है। शिवलाल की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण/उत्तरदाता नियमानुसार विरासतन शिवलाल के उत्तराधिकारीगण के रूप में उक्त आराजी जिसका हाल खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम बदरैठा पर खातेदार काश्तगार के रूप में दर्ज हुए जो उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि जब अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष शिवलाल को आवंटित की गई थी उस समय उसकी किस्म चारागाह नहीं थी ऐसी स्थिति में जो भूमि शिवलाल को आवंटित की गई वह बिल्कुल वैध रूप से की गई थी और ऐसी स्थिति में उक्त भूमि बावत खातेदारी व खातेदार अधिकार बिल्कुल सही प्रदान किये गये। प्रार्थी पीडित पक्षकार नहीं है और ना ही वादग्रस्त आराजी में उसका कोई स्वत्व व हित निहित है। वक्त आवंटन व उससे पूर्व से भी उक्त भूमि कभी चारागाह के रूप में उपयोग में नहीं लाई गई। शिवलाल को उक्त भूमि का आवंटन हुए करीब 49 वर्ष का लम्बा समय हो चुका है और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए आवंटन के इतने लम्बे समय बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल रफत नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

शिवलाल को उक्त भूमि का आवंटन बिल्कुल वैध रूप से व नियमानुसार किया गया था और उसके उपरांत नियमानुसार गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जो राजस्व विभाग व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार किये गये जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता व अवैधता नहीं की गई ऐसी स्थिति में प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेंस खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अभिभाषक ने नकल जमाबन्दी बंदोबस्त ग्राम बदरैठा तहसील बाडी सम्बव 2022, नकल जमाबंदी ग्राम बदरैठा सम्बत 2028 से 2031, नकल जमाबन्दी ग्राम बदरैठा सम्बत 2032 से 35, नकल जमाबन्दी ग्राम बदरैठा तहसील बाडी सम्बत 2036 से 2039, नकल नामान्तकरण ग्राम बदरैठा तहसील बाडी दस्तावेज पेश किये।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 04 रकवा 288 बीघा 08 बिस्वा वांके ग्राम बदरैठा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि खसरा नम्बर 04 बांके ग्राम बदरैठा में से जरिये नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा रकवा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पट्टे का उल्लेख करते हुए शिवलाल पुत्र हरगोविन्द कौम काछी निवासी ग्राम बदरैठा ने अपनी गैर खातेदारी में अवैध रूप से दर्ज करवा ली। शिवलाल पुर हरगोविन्द का निधन हो चुका है, शिवलाल के वारिस एवं उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण है जिन्होंने उक्त अवैध नामान्तकरण की आड में विरासत इन्द्राजात अंकित करवा लिये है तथा शिवलाल ने अवैध इन्द्राजात की आड में साजिशान सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध रूप से खातेदारी इन्द्राजात करवा लिये थे तथा कर्मचारियों से साजकर अवैध रूप से चारागाह भूमि को हडप लिया था। धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत चारागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कृषि उपयोग हेतु आवंटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है तथा ना ही चारागाह भूमि पर गैर खातेदारी या खातेदारी का नामान्तकरण ही स्वीकृत किया जा सकता है तथा ना ही किसी व्यक्ति को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है तथा नामान्तकरण संख्या 331 के कॉलम नम्बर 5 में खसरा नम्बर 04 की किस्म स्पष्ट रूप से चारागाह अंकित है तथा जमावन्दी सम्बत 2036–2039 में भी खसरा नम्बर 04 की किस्म चारागाह अंकित है जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है। खसरा नम्बर 04 में से शिवलाल पुत्र हरगोविन्द कौम काछी द्वारा अवैध रूप से जरिये नामान्तकरण संख्या 331 अपनी गैरखातेदारी में अंकित करवायी गयी भूमि का खसरा नम्बर 4/2 मिन रकवा 08 बीघा 10 बिस्वा था तथा जिसका हाल कम्प्यूटराइज्ड खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.1499 हैक्टेयर वांके ग्राम बदरैठा है। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा अवैधरूप से चारागाह भूमि को हडपा गया है तथा चारागाह भूमि राजकीय हित की ऐसी भूमि होती है जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी को भी अपने पशु चराने का सुखाधिकार प्राप्त होता है इसलिए स्व0 शिवलाल द्वारा किये गये अवैध कृत्य से प्रार्थी भी पीडित है। उपरोक्त परिस्थियों में नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा के सम्बध में अप्रार्थीगण के पूर्वज शिवलाल पुत्र हरगोविन्द व राजस्व अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता के विरूद्व एवं बरती गई अवैधता के विरूद्व समुचित आदेशार्थ पत्रावली माननीय

कलक्टर
धौलपुर (राज0)

राजस्व मण्डल अजमेर को राय के साथ भिजवाई जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना की है, कि नामान्तकरण संख्या 331 वांके ग्राम बदरैठा के सम्बध में बरती गई अनियमितता एवं अवैधता के विरूद्व समुचित आदेशार्थ हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी जावे तथा खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.1499 हैक्टेयर को पुनः चारागाह दर्ज करने हेतु : रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम किये गये अवैध नियमन एवं नामान्तकरण को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लिए रेफरेंस किया जावे। प्रार्थी अभिभाषक ने उक्त कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(1) पेज न0 273, आरआरटी 2002(2) पेज नम्बर 1068, आरआरटी 2014(2) पेज नम्बर 788, आरआरडी 1983 पेज नम्बर 75, आरआरटी 2013(2) पेज नम्बर 1404, आरआरडी 1978 पेज नम्बर 01 पेश की।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्रों में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 4 की भूमि कभी भी गैरमुमकिन चारागाह नहीं रही। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष शिवलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 4 वांके ग्राम बदरैठा में से 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विधिवत रूप से आवंटन दिनांक 21.04.1975 को किया गया था और आवंटन स्वीकार किया गया था एवं आवंटन भूमि चारागाह नहीं थी बल्कि किस्म बारानी दोयम थी एवं इसी अनुरूप शिवलाल को विधिवत रूप से उक्त भूमि बावत गैर खातेदारी जरिए नामांतरकरण संख्या 331 प्रदान की गई और शिवलाल बतौर गैर खातेदार उक्त भूमि का काबिज होकर काश्त भी करता रहा एवं तत्पश्चात आवंटित भूमि पर नियमानुसार लगातार काबिज होकर काश्त करते रहने पर उसे आवंटित भूमि पर खातेदारी प्रदान किये गये। संवत 2041–2044 की जमाबंदी में खाता संख्या 256 पर शिवलाल का नाम दर्ज है जिसमें भूमि की किस्म बारानी दर्ज है। शिवलाल की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण/उत्तरदाता नियमानुसार विरासतन शिवलाल के उत्तराधिकारीगण के रूप में उक्त आराजी जिसका हाल खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.14 हैक्टेयर वाके ग्राम बदरैठा पर खातेदार काश्तगार के रूप में दर्ज हुए जो उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि जब अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष शिवलाल को आवंटित की गई थी उस समय उसकी किस्म चारागाह नहीं थी ऐसी स्थिति में जो भूमि शिवलाल को आवंटित की गई वह बिल्कुल वैध रूप से की गई थी और ऐसी स्थिति में उक्त भूमि बावत खातेदारी व खातेदार अधिकार बिल्कुल सही प्रदान किये गये। प्रार्थी पीडित पक्षकार नहीं है और ना ही वादग्रस्त आराजी में उसका कोई स्वत्व व हित निहित है। वक्त आवंटन व उससे पूर्व से भी उक्त भूमि कभी चारागाह के रूप में उपयोग में नहीं लाई गई। शिवलाल को उक्त भूमि का आवंटन हुए करीब 49 वर्ष का लम्बा समय हो चुका है और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए आवंटन के इतने लम्बे समय बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल रफत नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष शिवलाल को उक्त भूमि का आवंटन बिल्कुल वैध रूप से व नियमानुसार किया गया था और उसके उपरांत नियमानुसार गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जो राजस्व विभाग व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

किये गये जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता व अवैधता नहीं की गई। उपरोक्त परिस्थितियों में रेफरेंस प्रार्थना पत्र को असत्य कथनों पर आधारित मानते हुए एवं विधि विरूद्ध मानते हुए एवं दुर्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही मानते हुए इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने उक्त कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011(1) पेज संख्या 412, आरआरटी 2012(1) पेज संख्या 419, आरआरटी 2011–12(2सुप्रीम कोर्ट) पेज नम्बर 690 पेश की।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विद्वान अभिभाषकगणो की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थी की ओर से यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 4/2149 रकवा 2.1499 है0 वाके ग्राम बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर से संबधित नामान्तरकरण संख्या 331 के विरूद्ध धारा 82 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संबधित नामान्तरण संख्या 331 की प्रमाणित प्रति पर पट्टा दिनांक 21.04.75 का अंकन है, जिससे उक्त नामान्तरण का पट्टा के आधार पर इन्द्राज किया जाना जाहिर होता है। प्रार्थी की ओर से संबधित पट्टा/आवटंन आदेश प्रस्तुत नही किया है ना ही प्रार्थी ने इस रैफरेन्स प्रार्थना पत्र में संबधित पट्टा/आवटंन को चैलेन्ज किया है। धारा 82 एलआर एक्ट के तहत यदि कोई नामान्तरण (म्यूटेशन) का आदेश कानून के स्पष्ट प्रावधानों के उल्लघंन में दिया जाता है तो धारा 82 के अधीन रैफरेन्स के अन्तर्गत वह आदेश निरस्त तो किया जा सकता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण से संबधित मूल पट्टा/आवटंन को प्रार्थी द्वारा चुनौती नही दी गई है तथा संबधित नामान्तरण से संबधित मूल पट्टा/आवटंन का अवलोकन किये वगैर यह निर्धारित किया जाना संभव नही है कि प्रश्नगत नामान्तरण में कानूनी रूप से त्रुटि की गई है अथवा नही। अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में प्रार्थी को मूल पट्टा/आवटंन आदेश को चैलेन्ज करना चाहिए। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2011–12(supp) RRT पेज 690 में मा0 राजस्व मण्डल ने मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आवटंन के मामले में रैफरेन्स प्रस्तुत करने की युक्तियुक्त अवधि 1996 आरआरडी पेज 568 में एक वर्ष मानी है तथा यहां तक कहा है कि खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के पश्चात् जबकि खातेदार प्रश्नगत आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तो उसकी खातेदारी अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् रैफरेन्स के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 493/2001 लाडबाई व अन्य के प्रकरण 17 वर्ष के विलंब से रैफरेन्स प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया। इसी प्रकार मा0 उच्च न्यायालय ने सुनहरी बनाम स्टेट एसबी सिविल रिट पिटीशन 922/2000 दिनांक 15.10.2009 जो 2010 डीएनजे पेज 528 का उद्धत है, में भी 17 वर्ष की देरी से प्रस्तुत रैफरेन्स को असाधारण विलंब माना है। इसी क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय 2002(1) आरआरटी पेज 410 एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1206/1990 मूर्ति मंदिर श्री नियाम जी बनाम राज. राज्य एंव डब्ल्यू.एल.सी. 2009(3)पेज 258 एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 3114/1995 बाबूसिंह बनाम राजस्व मण्डल अवलोकनीय है, जिसमें असाधारण देरी से दायर रैफरेन्स को अविधिक माना है। हस्तगत प्रकरण में आवटंन से लगभग 49 वर्ष एंव प्रश्नगत नामा0 से लगभग 41 वर्ष पश्चात् रैफरेन्स प्रकरण

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010 (प) पेज संख्या 562–570, आरआरडी 1993 पेज संख्या 378 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 82 के प्रावधानो द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निजी पक्षकारों के मध्य विवादित प्रश्न के निराकरण हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः उक्त प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में निजी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाडी प्रकरण में पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय प्रति तहसीलदार बाडी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर